खबर संक्षेप

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक चौधरी एवं प्रदेश कांग्रेस के पर्यवेक्षक 12 जून को सतना में

सतना। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक एवं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पूर्व विधायक अनिल चौधरी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक पूर्व विधायक विनय सक्सेना पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी प्रियदर्शन गौड़ 12 जून को सतना पधार रहे हैं जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आयोजित संगठन सृजन अभियान की बैठक में शामिल होकर मुलाकात करेंगे। बैठक 12 जून को 1 बजे से जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय जय स्तंभ चौक सतना में आयोजित की गई है तत्पश्चात 4 बजे से सतना विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात करेंगे। बैठक में विधायक लोक सभा एवं विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व विधायक जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी मोर्चा संगठन प्रकोष्ठ विभाग के अध्यक्ष गण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गण मंडलम सेक्टर के अध्यक्ष गण नगरीय निकाय पंचायती राज एवं मंडी के वर्तमान एवं पूर्व पदाधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से बैठक में पहुंचने का आग्रह है।

नहीं तो डूब जाएगा शहर : बब्बल

सतना। मध्य भारत मोर्चा के जिला अध्यक्ष जसविंदर सिंह भाटिया बब्बल ने जारी बयान में कहा कि बरसात के पहले यदि शहर के अंदर मौजूद नालों की सफाई नहीं कराई गई तो शहर के अंदर जल भराव की स्थिति पैदा हो सकती है। श्री भाटिया ने जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि शहर के तमाम नालों की समय रहते साफ सफाई कर दी जाए क्योंकि आने वाला समय बारिश का है वैसे भी मौसम विभाग ने इस बार अच्छी बारिश के संकेत दे रहा है उन्होंने कहा आज से कई साल पहले शहर में बारिश के कारण जो हालात बने थे वह दोबारा न बनने पाए लेकिन नगर निगम का ध्यान इस गंभीर मुद्दे पर कतई नहीं है।

फगिंग मशीन से हुआ धुएं का छिड़काव

कटनी। नगर निगम कटनी द्वारा ग्रीष्मऋतु के दौरान मच्छरों पर नियंत्रण लगानें के उद्धेश्य से वार्डवार फागिंग कार्य हेतु कैलेंडर जारी किया जाकर रोजाना वार्डवार अभियान चलाकर फागिंग मशीन से धुएं की कार्यवाही की जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारी संजय सोनी ने इस संबध में जानकारी देते हुए बताया कि इसी कड़ी में विगत दिवस रविवार को पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड में वार्ड पार्षद एवं क्षेत्रीय दरोगा की मौजूदगी में फागिंग अभियान चलाया गया।

दंडवत परिक्रमा कर कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान, बोले- मुआवजा दिलाएं या इच्छा मृत्यु की अनुमति दें राष्ट्रपति

पावर ग्रिड कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन

सतना। पावर ग्रिड कंपनी से खेत में लगाए टावर का मुआवजा नहीं मिलने से नाराज सैकड़ों किसानों ने मंगलवार को दंडवत परिक्रमा और पदयात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया।42 डिग्री के तापमान पर सैकडों किसान हाथ में पोस्टर बैनर लेकर नागौद थाना क्षेत्र के पौड़ी तिराहा से दंडवत परिक्रमा शुरू की,जो लगभग 35 किलोमीटर चलकर कलेक्ट्रेट पहुंची।

महिला कृषक लेट कर परिक्रमा लगाते हुए सतना कलेक्ट्रेट की ओर रवाना हुईं। किसानों का कहना है कि उन्हें न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के आधार पर मुआवजे का भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर शासन-प्रशासन और सरकार ये करने में नाकाम है तो राष्ट्रपति हम सभी किसानों को इच्छा मृत्यु की अनुमति दें।

क्या हैं किसानों की 3 प्रमुख मांगें

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मुआवजा आदेश का तत्काल पालन किया जाए। प्रशासन किसानों की जमीनों पर हुए नुकसान का सत्यापन कर मुआवजा दिलाए। अगर कार्रवाई संभव नहीं है, तो राष्ट्रपति से इच्छामृत्यु की अनुमति दी जाए।

न्यायालय का आदेश,फिर भी नहीं मिला मुआवजा

किसानों का कहना है कि सतना कलेक्टर और न्यायालय दोनों के आदेश के बावजूद उन्हें मुआवजा नहीं मिला। बता दें कि पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ने वर्ष 2012 से 2015 के बीच उचेहरा तहसील के लगभग 13 गांवों-जैसे अत्तरबेदिया खुर्द,पिथौराबाद, लालपुर, अमिलिया,नंदहा,अटरा,अमदरी,धनेह, कोनी,कोलगढ़ी,गोबराव कला,करही आदि में 765 केवी की विद्युत पारेषण लाइन का निर्माण किया था। किसानों के खेतों में टावर खड़े किए गए,लेकिन कई किसानों को मुआवजा नहीं मिला।

137 किसानों को दिया जाना था मुआवजा

तत्कालीन कलेक्टर अजय कटेसरिया ने 2 नवंबर 2021 को किसानों के पक्ष में फैसला देते हुए 12 लाख रुपए प्रति टावर और 3 हजार रुपए प्रति रनिंग मीटर वायर का मुआवजा देने का आदेश दिया था। लगभग 137 किसानों को ये मुआवजा दिया जाना था। पावर ग्रिड ने इस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की,जिसे हाल ही में उच्च न्यायालय जबलपुर ने खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने कलेक्टर सतना के फैसले को सही ठहराते हुए पावर ग्रिड की याचिका को निरस्त कर दिया और किसानों को मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कलेक्टर डॉ.सतीश कुमार एस ने इस फैसले के पालन का आदेश पावर ग्रिड अधिकारियों को दिया है।

आईसीएआर के पूर्व महानिदेशक ने किया समर्थन

इस आंदोलन को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व महानिदेशक डॉ.सदाचारी तोमर का भी समर्थन मिला है। उन्होंने किसानों की पदयात्रा में भाग लिया और कहा,"ये अन्याय है,अगर सरकार किसान हितैषी है तो मुआवजा देकर प्रमाणित करे।" दो महीने टावर में चढ़े रहे रामनाथ इस आंदोलन में अत्तरबेदिया के आदिवासी किसान रामनाथ कोल भी शामिल हैं,जो पहले दो महीने तक टावर पर चढ़कर विरोध कर चुके हैं। उन्हें भी आश्वासन मिला था,लेकिन मुआवजा अब तक नहीं दिया गया।

बिजली तार चोरी की कोशिश नाकाम गाड़ी और कटर छोड़कर भागे चोर

53 खंभों की तार बरामद

सतना। हलावन गांव में मंगलवार तड़के बिजली तार चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। ग्रामीणों और बिजली विभाग की टीम को आता देख बदमाश मालवाहक वाहन,कटर और तार छोड़कर भाग गए। वाहन में 53 खंभों की तार भरी थी। बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर ने अज्ञात के खिलाफ थाना सभापुर में शिकायत दी है। बिजली कंपनी के जेई सुनील मिश्रा को सुबह 3.40 बजे सूचना मिली कि हलावन गांव के तिराहे पर कुछ लोग मालवाहक वाहन के साथ खड़े हैं। उन्हें तार चोरी की आशंका हुई। सूचना मिलते ही जेई अपनी टीम के साथ मौके पर रवाना हुए और ग्रामीणों को भी सतर्क किया गया। ग्रामीणों और कर्मचारियों की हलचल देखकर बदमाश भाग गए। वे MP17-G-2127 नंबर का वाहन,बिजली तार और कटर मौके पर ही छोड़ गए। वाहन में भारी मात्रा में बिजली के तार और कटर मिला है। मौके से 53 खंभों की तार बरामद हुई है। जेई ने बताया कि इस क्षेत्र में तार चोरी की घटनाएं पहले भी हुई हैं। दो दिन पहले अमुआ गांव के पास से भी कटी हुई तार बरामद की गई थी। अभी तक अमुआ बिजली केंद्र क्षेत्र में चोरी की तीन घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें से दो बार तार बरामद कर लिए गए हैं।

व्हाट्सएप ग्रुप से मिली मदद

जेई सुनील मिश्रा ने बताया कि बिजली तार चोरी रोकने के लिए उन्होंने कर्मचारियों और ग्रामीणों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इसी ग्रुप से तत्काल सूचना मिली और कार्रवाई हो सकी। उन्होंने बताया कि मुखबिर तंत्र भी एक्टिव किया गया है,जिससे भविष्य में भी चोरी रोकी जा सकेगी।

बाढ आपदा की स्थिति की आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम स्थापित

सतना। मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देश के अनुसार अतिवर्षा एवं बाढ की स्थिति में निपटने की पूर्व तैयारियों संबंधी जिला स्तरीय विभागों की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार बाढ-आपदा स्थिति में आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। सतना में 10 जून 2025 से 24 घण्टे कार्यशील कन्ट्रोल रूम कलेक्ट्रेट भवन के प्रथम तल कक्ष क्रमांक एफ-19 में जिला स्तरीय कन्ट्रोम रूम स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष क्रमांक 07672-223211 है। कन्ट्रोल रूम हेतु अधिकारियों कर्मचारियों की डयूटी लगाई गई है। कन्ट्रोल रूम का प्रभारी अधिकारी राहत शाखा एवं डिप्टी कलेक्टर राहुल सिलाडिया मो. 7987425459 को बनाया गया है। कलेक्टर डॉ.सतीश कुमार एस द्वारा स्थापित कन्ट्रोल रूम के लिए अधीक्षक भू-अभिलेख-भू-प्रबंधन मुन्नालाल तिवारी कन्ट्रोल रूम के सहायक अधिकारी होंगे। इसी प्रकार प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए सहायक ग्रेड-3 कैलाशनाथ वर्मा,भृत्य चंद्रभान गुप्ता,स्थाई कर्मी परमेन्द्र त्रिपाठी,दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक के लिये सहायक ग्रेड-3 राहुल चौहान,चौकीदार संजय श्रीवास्तव,चतुर्थ श्रेणी सूरज प्रसाद वर्मा तथा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक के लिये सचिव हरिमोहन शुक्ल,उप स्वच्छता पर्यवेक्षक अमित कुमार गुप्ता एवं भृत्य सुरेश कुमार वर्मन को नियुक्त किया गया है। साथ ही रिजर्व में चैनमेन जय सिंह,भृत्य प्रमोद पाण्डेय,ट्रेसर राजनारायण के नाम शामिल है। यह कन्ट्रोल रूम 10 जून 2025 से 30 सितंबर 2025 तक निरंतर (अवकाश के दिनों में भी) चालू रहेगा। सभी संबंधित कर्मचारी आदेश प्राप्त होते ही तत्काल अपनी उपस्थिति प्रभारी अधिकारी कन्ट्रोल रूम के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। नियुक्त किये गये सभी कर्मचारी प्रतिदिन कन्ट्रोल रूम में संधारित उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। रिजर्व दल में लगे कर्मचारी भी कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति पंजी में दर्ज करेंगे एवं राहत शाखा के संपर्क में रहेंगे।कन्ट्रोल रूम के औचक निरीक्षण पर डयूटी में संलग्न कर्मचारियों के अनुपस्थित पाये जाने पर नियमानुसार अनु शासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। कर्मचारी कन्ट्रोल रूम में आने वाली अतिवर्षा एवं बाढ की सूचना का संपूर्ण विवरण (सूचनाकर्ता को नाम,मोबाइल नम्बर,सूचना प्राप्त होने का समय,प्रभावित क्षेत्र, ग्राम,वार्ड,तहसील की जानकारी,बाढ का स्वरूप,घटना विवरण इत्यादि संबंधी विस्तृत जानकारी) कन्ट्रोल रूम में संधारित रजिस्टर में दर्ज करेंगे। इसके पश्चात बाढ प्रभावित क्षेत्र से संबंधित प्रमुख अधिकारी से दूरभाष पर तत्काल संपर्क कर सूचना से अवगत करायेंगे। जिस पर संबंधित प्रमुख अधिकारी इस संबंध में तत्काल समुचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे। प्रभारी अधिकारी कन्ट्रोल रूम दूरभाष के माध्यम से प्राप्त समस्त अतिवर्षा,बाढ स्थिति सूचनाओं एवं कृत कार्यवाही की संपूर्ण जानकारी से प्रभारी अधिकारी राहत शाखा को प्रतिदिन अवगत करायें। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी,कर्मचारी इस आदेश कडाई से पालन करना सुनिश्चित करेंगे।किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

आधार सेवा केंद्रों की अव्यवस्था पर आम आदमी पार्टी का हमला: जनता परेशान, प्रशासन लापरवाह

सतना। जिले में आधार कार्ड बनवाने और उसमें सुधार करवाने के लिए जनता को भारी अव्यवस्थाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले के अधिकांश आधार सेवा केंद्र या तो लंबे समय से बंद हैं या पूरी तरह अव्यवस्थित तरीके से संचालित हो रहे हैं।

इस भीषण गर्मी में नागरिक,विशेषकर वृद्धजन,महिलाएं और छात्र,आधार से जुड़ी बुनियादी सेवाओं के लिए दर-दर भटक रहे हैं।

जमीनी हकीकत चिंताजनक

पोस्ट ऑफिस में आधार सेवाओं के लिए सुबह 6 बजे से लंबी लाइनें लगना आम हो गया है। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि 9:30 बजे तक भी केंद्र के कर्मचारी उपस्थित नहीं होते। बस स्टैंड स्थित महाराष्ट्र बैंक में "टेक्निकल इश्यू" का हवाला देकर सेवा पूरी तरह बंद कर दी गई है,जिससे लोगों को निराश लौटना पड़ता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थिति गंभीर है,जहां सेवा केंद्रों की संख्या नगण्य है,और वहाँ भेजे गए लोग तकनीकी कारणों या मशीन की अनुपलब्धता के नाम पर लौटा दिए जाते हैं।

आम आदमी पार्टी ने उठाई आवाज

इस जन-पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए आम आदमी पार्टी सतना के जिलाध्यक्ष डॉ.अमित सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा आधार जैसी बुनियादी और अनिवार्य सेवा के लिए भी यदि नागरिकों को धूप में घंटों खड़ा रहना पड़े,तो यह प्रशासन की गंभीर नाकामी है। जब हर योजना,बैंक,स्कूल,राशन व पेंशन में आधार अनिवार्य है,तो यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि इसकी सेवा सुचारू रूप से चले। लेकिन दुर्भाग्य से सतना में तस्वीर इसके विपरीत है। डॉ.अमित सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि प्रशासन एक सप्ताह के भीतर इन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के ठोस कदम नहीं उठाता,तो आम आदमी पार्टी जनता के साथ मिलकर धरना-प्रदर्शन,घेराव व आंदोलन करने को बाध्य होगी। यह सिर्फ एक सेवा का मामला नहीं,बल्कि नागरिकों के सम्मान और अधिकार का प्रश्न है।

पुलिस चौकी रैगांव का थाना में उन्नयन- 48 गांव शामिल

कलेक्टर ने जारी की अधिसूचना

सतना। म.प्र.शासन गृह विभाग के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक सतना एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के प्रस्ताव पर विचारोपरांत जिला स्तरीय समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार पुलिस चौकी रैगांव को थाने के रूप में उन्नयन किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ.सतीश कुमार एस द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रैगांव थाना क्षेत्र में विभिन्न थाना के अंतर्गत आने वाले 48 राजस्व ग्रामों को वर्तमान थाना रैगांव में शामिल किया गया है। इसमें तहसील रघुराजनगर के 29, कोठी के 13, मझगवां के 4 तथा नागौद के 2 राजस्व ग्राम शामिल है। रैगांव थाना क्षेत्र में सिंहपुर थाना के 39 ग्राम,मझगवां थाने के 4,कोठी थाने के 3 और नागौद के 2 तथा सिविल लाइन थाना क्षेत्र का 1 ग्राम शामिल किया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार तहसील रघुराजनगर अंतर्गत ग्राम शिवपुर, भटिगवां, रैगांव,मुडहा ,डिलौरा,डिलौरी,कोरगवां,निपनिया,नरेन्द्रपुर ,नारायणपुर, झियार, कल्हाई, कल्हारी, जिरवार, शहपुरा, धौरहरा, बैलिहा (कछियान), श्रीनगर, गरलगी, इटौरा, ओढकी, कूंची, पडरौत, बांधी,रेहुंटा,मसनहां,गडरा,इटमा तथा राजस्व ग्राम धनखेर को शामिल किया गया है।इसी प्रकार तहसील कोठी अंतर्गत ग्राम मनिकवार,करसरा,सेमरिया,बराह,पैकोरा,पैकोरी, खडौरा, खडौरी,नौखड- खुर्द, गरलगा, उजरौंधा,देवरी तथा घडेरूआ,तहसील मझगवां अंतर्गत ग्राम चकर,पटिहर,अठबरही, म्यान तथा तहसील नागौद अंतर्गत ग्राम रजरवारा एवं बचबई को रैगांव थाना में शामिल किया गया है।

जनसुनवाई में सुनी गई 155 आवेदकों की समस्यायें

सतना। कलेक्टर डॉ.सतीश कुमार एस के निर्देशन मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में अपर कलेक्टर स्वप्निल वानखडे,सहायक कलेक्टर अनिकेत शाडिल्य तथा एसडीएम एलआर जांगडे ने जिले के दूर-दराज के क्षेत्रों से आये 155 आवेदकों से उनकी समस्यायें सुनी और अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिये। जनसुनवाई में जमीन का सीमांकन कराने,अनुकंपा नियुक्ति,खाद्यान पात्रता पर्ची,दाखिल-खारिज कराने, प्रधानमंत्री आवास योजना,अवैध कब्जा हटाने, विद्युत समस्या, जमीन का कब्जा दिलाने,सीमांकन कराने,चिकित्सा सहायता,रोजगार दिलाने,भरण-पोषण और संबल योजना के लाभ संबंधी आवेदन लेकर जनसुनवाई में पहुंचे।

मैहर जिले की जनसुनवाई में आये 43 आवेदन

कलेक्टर रानी बाटड ने मंगलवार को जनसुनवाई में जिले के विभिन्न अंचलों से प्राप्त 43 आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को निराकरण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

खबर संक्षेप

प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सम्मिलित होकर चिरोलया ने किये सारगर्भित विचार व्यक्त, सभी ने की सराहना

पन्ना। अखिल भारतीय कोली समाज (रजि.) शाखा मध्यप्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 08 जून, 2025 को भोपाल में आयोजित हुई जिसमें पन्ना से साहित्यकार, कवि, अधिमान्य पत्रकार एवं समाजसेवी तथा समाज के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण चिरोलया सम्मिलित हुये। इस अवसर पर चिरोलया ने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र कश्यप सहित प्रदेश अध्यक्ष श्री बलवंत शाक्य का आत्मीय स्वागत किया। मंच से श्री चिरोलया ने जिले से जुड़ी हुई समाज की पीड़ाओं सहित समाज की अनेक गतिविधियों से अवगत कराया तथा कहा समाज को एकजुट रहने के प्रयास में सतत प्रयत्नशील हूं। आगे चिरोलया ने कहा कि बीते लगभग 45 वर्षों से समाजसेवा में रहते हुये समाज के आराध्य भगवान बुद्ध, सद्गुरू कबीर और वीरांगना झलकारी जी जयंतियों पर समाजजनों के मध्य कार्यक्रम करता आ रहा हूं। समाज के कल्याणार्थ-हितार्थ और एकता पर भी आधारित कार्य करना मुख्य उद्देश्य रहता है। इसके अतिरिक्त चिरोलया ने सबा सौ करोड़ की लागत से कबीर मंदिर बनाने, गुना विधायक पन्ना लाल शाक्य को मंत्री बनाने, कोरी कल्याण बोर्ड का गठन करने के संबंध में भी विचार व्यक्त किये। महत्वपूर्ण रूप से चिरोलया ने कहा कि वारिश में बढ़ती हुई घास के समान एक साथ बढ़ो ताकि राजनैतिक दल भ्रमित हो जायें कि आखिर लीडर कौन है तभी राजनैतिक दलों को समाज की शक्ति का ऐहसास होगा। दूसरी ओर हॉकी के खेल की तरह पासिंग देना सीखो अर्थात समाज के होनहार वरिष्ट व्यक्तियों को एकजुट होकर समर्थन दो तभी समाज का कल्याण हो सकेगा। अंत में श्री चिरोलया ने कविताओं के माध्यम से मंच पर विराजमान अतिथिगणों सहित प्रदेश कार्यकारिणी में उपस्थित समाजजनों का स्वागत किया तो कार्यक्रम तालियों की गढ़गढ़ाहट से गुजायेमान हो उठा। आगे चिरोलया ने कहा कि समाज का वह व्यक्ति जरदार है जो समाज में रहकर समाजजनों के कल्याणार्थ-हितार्थ कार्य करे। इस तरह चिरोलया ने श्रेष्ठ वक्ता के रूप में प्रदेश कार्यकारिणी में अपनी उपस्थित दर्ज करायी।

बीएलओ ऑफलाइन मोड में भी एप पर कर सकेंगे कार्य

पन्ना। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के परिपालन में वर्तमान में समस्त बीएलओ द्वारा बीएलओ एप के जरिए कार्य संपादित किया जा रहा है। इस एप में बीएलओ से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। बीएलओ एप दो प्रकार के वर्जन क्रमशः इंटरनेट की परिधि में होने पर तथा इंटरनेट की परिधि से बाहर होने पर कार्य करता है। इस संबंध में अवगत कराया गया है कि एप पर सभी बीएलओ उक्त दोनों परिस्थितियों में कार्य संपादित कर सकते हैं। इंटरनेट न होने पर भी बीएलओ एप कार्य करता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को इस बावत समस्त बीएलओ से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य शासन ने जहां नायब तहसीलदार तथा प्रभारी नायब तहसीलदारों के स्थानांतरण को आगामी आदेश तक के लिए किया जारी

पन्ना की नायब तहसीलदार होंगी ममता मिश्र

पन्ना। मध्यप्रदेश सरकार जहां स्थानांतरण को लेकर सतत प्रक्रिया जो बनाई गई थी। समय को लेकर एक निश्चित अवधि स्थानांतरण के लिए जिसमें आज 10 जून 2025 को राज्य शासन द्वारा नायब तहसीलदार/प्रभारी नायब तहसीलदारों की नवीन पदस्थापना स्थानांतरण संबंधि आदेश जारी किये गये है। जिसमें श्रीमती ममता मिश्र सागर से स्थानांतरण होकर पन्ना नायब तहसीलदार के रूप में जिम्मेदारी निर्वाहन करेगी। इस तरह से आशुतोष मिश्रा का स्थानांतरण नायब तहसीलदार पन्ना से डिंडोरी के लिए नवीन पदस्थापना को लेकर सूची में दर्शाया गया है। वहीं इसी क्रम में श्री कोमल सिंह चढ़ार नायब तहसीलदार का दमोह स्थानांतरण किया गया है। तथा श्री बिक्टर रोडिक्स प्रभारी नायब तहसीलदार पन्ना को रायसेन भेजा गया है। वहीं श्री पुन्नू लाल सांडिया प्रभारी नायब तहसीलदार पन्ना को बालाघाट के लिए स्थानांरित किया गया है। श्री शिवम कुमार गौतम नायब तहसीलदार पन्ना को मउगंज के लिए स्थानांतरित किया गया है। श्रीमती संगीता सिंह नायब तहसीलदार पन्ना जिन्हें सागर भेजा गया है। श्रीमती प्रीति पंथी प्रभारी तहसीलदार पन्ना को विदिशा स्थानांतरित किया गया है। इस तरह से जहां पन्ना जिले से नायब तहसीलदारों का जो

स्थानांतरण किया गया है साथ ही पन्ना में पदस्थापना को लेकर मात्र श्रीमती ममता मिश्र जो सागर से पन्ना आईं आखिरकार पन्ना जिले से जहां 7 नायब तहसीलदारों को अन्यत्र जिलों में भेजा गया है। साथ ही पन्ना में जहां मात्र पदस्थापना को लेकर एक ही नायब तहसीलदार के रूप में श्रीमती ममता मिश्र का नाम सामने आया है। इस तरह से पन्ना में नायब तहसीलदारों की कमी एक बार फिर जानी जायेगी। वहीं पन्ना जिले की बात करें तो 11 तहसीलों में मात्र एक तहसीलदार मूल रूप से रैपुरा में जो पदस्थ थे वह भी लोकायुक्त की कार्यवाही का शिकार हो चुके है। प्रभारी नायब तहसीलदारों में सात नायब तहसीलदारों का जाना माना जा रहा है। इस तरह से पन्ना राजस्व विभाग में जहां तहसीलदारों की कमी सामने आयेगी जो राजस्व विभाग की धुरी मानी जाती है। आखिर कैसे विभाग का संचालन होगा। जो अपने आप में बड़ा सवाल है। एक तरफ लाईन आर्डर से लेकर अन्य विभागों के साथ-साथ राजस्व विभाग जो कि जमीनी विभाग आम जनता से जुड़ा हुआ माना जाता है। आखिर आम आदमी की समस्याओं के निदान से लेकर साथ ही जिले में शांति व्यवस्था अतिक्रमण हटाने से लेकर तरह-तरह के कार्य जो नायब तहसीलदारों के भरोसे होते है क्योंकि तहसीलदारों की पदस्थापना वैसे भी नहीं इन परिस्थितियो में जिले का संचालन एक बार फिर कलेक्टर पन्ना सुरेश कुमार के लिए चुनौती पूर्ण होगा।

मंदिरों की पवित्र एवं धार्मिक नगरी पन्ना में बहुप्रतीक्षित अतिक्रमण हटने की आई बारी, पन्ना नगर में कहीं खुशी तो कहीं गम

नगर में भगवान श्री जुगुल किशोर लोक के निर्माण को लेकर अतिक्रमण हटाने की मुहिम हुई शुरू

पन्ना। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय से भगवान श्री जुगुम किशोर लोक की घोषणा जो की गई थी उसको गति देने का कार्य विगत कुछ दिवसों पूर्व वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया। जिससे पन्ना नगर में भगवान श्री जुगुल किशोर लोक निर्माण तथा आपस में सभी मंदिरों तक पहुंच मार्ग को लेकर जहां अब आवागमन सुविधा जनक तरीके से बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की मुहिम जिला प्रशासन तथा नपा प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन के समन्वय के साथ शुरू हुआ है। जिसको लेकर जिनके मकान टूटे उन्हें गम वहीं नगर में आम आदमी में खुशी। पन्ना नगर मंदिरों की नगरी धार्मिक एवं पवित्र नगरी को लेकर जानी जाती है। पन्ना में भगवान श्री जुगुल किशोर मंदिर जो यहां की धार्मिक आस्था का प्रमुख केन्द्र माना जाता है। वहीं मध्यप्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भगवान श्री जुगुल किशोर लोक निर्माण की घोषणा की थी। वहीं वर्तमान समय में कुछ दिवसों पूर्व मध्यप्रदेशर सरकार के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस नगर में भगवान श्री जुगुल किशोर लोक निर्माण को लेकर गति देने का कार्य किया। साथ ही आपस में सभी मंदिरों का आवागमन सुविधाजनक तरीके से संभव हो सके। जहां सभी मंदिरों को आपस में जोड़कर माना जा रहा है। जिसके लिए रास्तो में जो लम्बे अर्से से अतिक्रमण बना हुआ था पन्ना नगर में भगवान श्री जुगुल किशोर मंदिर के आसपास अतिक्रमण को लेकर जो चर्चायें व्याप्त रहती थी यह पहुंच मार्ग या सड़क जिसकी महज 6 फुट की चौड़ाई होती थी। अब अतिक्रमण हटाने के बाद यह मार्ग सुविधाजनक संभव होगा। वहीं पन्ना नगर में शासकीय रूप से जहां रामलीला मंच व धर्मशाला का निर्माण भी हटाया गया है। साथ ही नगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर भगवान श्री जुगुल किशोर लोक निर्माण के लिए जहां एक तरफ आम जनता में खुशी का महौल है वहीं जिनके आशियाने या मकान टूटेगें निश्चितौर पर उन्हें गम के हालात से गुजरना पड़ रहा है साथ ही मुआवजे की बात की जाये तो मकान जो बनाता है वह अपनी जिंदगी के सपने को अपने सामने ही जब बिखरते हुए देखता है वह मुआवजे की राशि सायद पूरी नहीं मानी जाती। साथ ही यह नगर जो प्लांनिंग को लेकर सायद अब निर्माण की दिशा तय कर सकेगें। जो अभी तक नहीं थी। गौरतल बात यह है कि यहां मार्केट में भी जहां पार्किंग की सुविधा आज दिनांक तक भी नहीं है। सायद भगवान श्री जुगुल किशोर लोक निर्माण के समय नगर में वाहन पार्किंग की सुविधा को ध्यान में रखकर पार्किंग के लिए भी प्लांनिग के साथ निर्माण तय हो तो बेहतर माना जा रहा है। वहीं आज समूचे नगर में अतिक्रमण हटाने की चर्चायें व्याप्त है।

हत्या के आरोपी पुष्पेन्द्र केवट को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

पन्ना। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी/सहा.जि.लोक अभि.अधि. ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 20.09.2022 पुलिस चौकी चंदौरा थाना अजयगढ़ के आरक्षक द्वारा थाना नरैनी जिला बांदा उ.प्र. से मृतक गुद्दा उर्फ संतोष निवासी ग्राम चांदीपाठी थाना अजयगढ़ की मर्ग डायरी असल मर्ग नंबर पर कायमी हेतु लाकर पेश की गयी थी, तो थाना अजयगढ़ के मर्ग क्र.-48/22 धारा-174 दं.प्र.सं. पर कायम कर जांच की गयी थी। जांच के दौरान मृतक के पिता, मां एवं गवाह हरि केवट के कथन लेखबद्ध किए गए, जिन्होंने बताया कि दिनांक 12.09.2022 को मृतक गुद्दा केवट ने गांव के पुष्पेन्द्र केवट को गांव की ही लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिससे पुष्पेन्द्र को डर था कि वह बात को फैला देगा। तब पुष्पेन्द्र केवट ने अपने दोस्त लाल खिलावन के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से मृतक गुद्दा केवट को खाने पीने की पार्टी के बहाने दिनांक 13.09.2022 को शाम 7 बजे चांदीपाठी नहर के पास बुलाया तो मृतक गुद्दा अपनी मोटरसाइकिल से पहुचा और दोनों ने मिलकर गुद्दा केवट को मारकर नहर के बहते पानी में फेक दिया और उसकी मोटर साईकिल भी नहर में फैक दी, जिससे मृतक गुद्दा का शव बहकर दिनांक 15.09.2022 को थाना नरैनी उ.प्र. क्षेत्रांतर्गत ग्राम पनगरा के पास मिला। थाना नरैनी जिला बांदा उ.प्र. की पुलिस द्वारा मृतक की पहचान कराने पर मृतक के जीजा रामकिशोर केवट द्वारा पहचान की गयी। मृतक के परिजनों को सूचित किया गया। चिकित्सक द्वारा मृतक गुद्दा केवट की मत्यु शॉक एवं सिर की चोट, जबड़ा की हड्डी टूटने और अत्यधिक खून बहने के कारण तथा एंटीमार्टम हेड इंजुरी आना लेख किया। विवेचना के दौरान आरोपी पुष्पेन्द्र और सह आरोपी विधि विरूद्ध बालक द्वारा अपराध घटित किए जाने पर विवेचना प्रारंभ की गयी। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय श्रीमान सुरेन्द्र मेश्राम, प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश खरे, अपर जिला लोक अभियोजक श्री लक्ष्मीनारायण द्विवेदी एवं अपर जिला लोक अभियोजक श्री सुनील द्विवेदी द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी पुष्पेन्द्र केवट के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया। अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान सुरेन्द्र मेश्राम, प्रथम अति. सत्र न्यायाधीश पन्ना की न्यायालय द्वारा आरोपी पुष्पेन्द्र केवट को धारा- 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 10000 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि. में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अपहृता के परिजनों द्वारा बालिका के सकुशल घर वापस लौटने पर पुलिस टीम को दिया धन्यवाद

पन्ना पुलिस ने अजयगढ थाना क्षेत्र से अपहृत नाबालिक बालिका को किया दस्तयाब

पन्ना। पुलिस अधीक्षक पन्ना साईं कृष्ण एस. थोटा द्वारा पन्ना जिले के समस्त थाना/ चौकी प्रभारियों को अपहृत बालक/बालिकाओं की अधिक से अधिक दस्तयाबी हेतु निर्देशित किया गया है। जिस हेतु थाना/ चौकी स्तर पर पुलिस टीमों का गठन किया गया है। इसी तारतम्य में थाना अजयगढ के अप.क्र. 178/24 धारा 363 ताहि में अपहृत नाबालिक बालिका को अजयगढ पुलिस टीम द्वारा दस्तयाब किया गया है। मामले में फरियादी द्वारा थाना अजयगढ में रिपोर्ट की गई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति फरियादी की लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना अजयगढ में अज्ञात आरोपी के वि अपहरण का अपराध क्रमांक 178/24 कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया था। मामले में थाना प्रभारी निरी. बखत सिंह ठाकुर के नेतृत्व में थाना स्तर पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपहृत बालिका की तलाश पतारसी हेतु लगातार प्रयास किये गये साथ ही अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। जिसके फलस्वरूप दिनांक 08.06.25 को मुखबिर सूचना के आधार पर मामले की अपहृता को अजयगढ से दस्तयाब किया गया है। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी अजयगढ निरी. बखत सिंह ठाकुर, सउनि जौहर सिंह, एचसी राठौर, प्र.आर शंकर प्रताप सिंह, आर. भूरी सिंह, महिला आर. प्रतिमा एवं सायबर सेल टीम पन्ना का सराहनीय योगदान रहा।

भाजपा सरकार के इशारे पर प्रशासन द्वारा गरीब लोगों के साथ लगातार अन्याय किया जा रहा है : शिवजीत सिंह

बिना मुआवजा दिए गरीबों के मकान तोड़ने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने किया विरोध सौंपा ज्ञापन

पन्ना। पन्ना जिला प्रशासन द्वारा मन माने ढंग से जुगल किशोर लोक बनाए जाने के नाम पर श्री जुगल किशोर जी मंदिर के आसपास रहने वाले लगभग एक सैकड़ा परिवारों को बेघर किया जा रहा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पीड़ितों के साथ जाकर कलेक्टर के नाम स्थानीय एसडीएम को ज्ञापन सोपा है तथा कहा लोगों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि न्याय विभाग योजना अंतर्गत पंचम सिंह चौराहा से बड़ा बाजार चौराहा तक तेरह मीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है जबकि पूर्व नगर विकास के मास्टर प्लान के अनुसार उक्त सड़क को 9 मी बनाए जाने का प्रस्ताव सर्व सहमति से पास हुआ था सन 2015 में अतिक्रमण हटाया भी गया था फिर से आक्रमण हटाया जाना विधि विरुद्ध है इस क्षेत्र में पुश्तैनी रूप से दो सो वर्ष से लोग रह रहे हैं तथा किसी प्रकार अपने छोटे-छोटे व्यापार करके परिवार का उदर पोषण कर रहे हैं प्रशासन द्वारा जो नोटिस दिए गए हैं उसमें तत्काल हटाने का उल्लेख किया गया है जबकि नियम अनुसार 15 दिवस का समय देना होता है साथ ही दो सो वर्ष से रह रहे लोगों को मुआवजा देकर व्यवस्थित ढंग से अन्य स्थान पर बसाया जा सकता है जिला

कांग्रेस अध्यक्ष शिवाजी सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लगातार गरीबों को परेशान किया जा रहा है उनके मकान दुकान तोड़े जा रहे हैं जबकि रोजगार का वादा करने वाली सरकार रोजगार की दिशा में कोई कार्य नहीं कर रही है उन्होंने आगे कहा कि आम जनता के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ग़रीबों लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी ज्ञापन के दौरान भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल रहे जिसमें मुख्य रूप से पूर्व विधायक श्रीकांत दुबे कांग्रेस प्रत्याशी रहे भारत मिलन पांडे मार्तंड देव बुंदेला अक्षय तिवारी दीपक तिवारी वैभव थापक रेहान मोहम्मद जन्मेजय अर्जरिया गोपाल मिश्रा भूपेंद्र सिंह युवक कांग्रेस अध्यक्ष स्वतंत्र अवस्थी रियासत खान मुकेश दुबे सौरभ पटेरिया अंकित शर्मा सरदार यादव रंजन यादव कीरत परिवार के लोग तथा भारी संख्या में स्थानीय नागरिक शामिल रहे है।

प्रांत स्तरीय मंच से देवेंद्रनगर का गौरव वंदनीय- चार मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान

पन्ना। सरस्वती शिशु मंदिर देवेंद्रनगर के लिए गौरव और प्रेरणा से भरा रहा, जब विद्यालय के चार विद्यार्थियों को विद्या भारती, सरस्वती शिक्षा परिषद महाकौशल प्रांत, मध्यप्रदेश द्वारा प्रांत स्तरीय मेधावी छात्र अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया। यह भव्य आयोजन जबलपुर स्थित सरस्वती शिक्षा परिषद, नृसिंह मंदिर शास्त्री ब्रिज परिसर में जगद्गुरु स्वामी नरसिंह दास जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। अध्यक्षता श्री राजकुमार शर्मा (आचार्य कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर) ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ. अखिलेश गुमास्ता (वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ), श्री रत्नेश सोनकर (भाजपा नगर अध्यक्ष, जबलपुर) एवं श्री अखिलेश जी (क्षेत्र संगठन मंत्री) उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन श्री सुधीर अग्रवाल (प्रादेशिक सचिव, सरस्वती शिक्षा परिषद) ने किया। महाकौशल प्रांत के 23 जिलों के लगभग 330 विद्यालयों से चयनित विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र, मेडल एवं नकद राशि देकर सम्मानित किया गया। देवेंद्रनगर से प्रिया पटेल (10वीं, प्रदेश में 7वाँ स्थान), विवेक कुशवाहा (10वीं, जिला प्रथम, प्रदेश में 11वाँ), प्रतीक्षा शुक्ला (12वीं गणित संकाय, जिला प्रथम, प्रदेश में 11वाँ) तथा यश त्रिपाठी (12वीं गणित संकाय, जिला तृतीय) ने यह सम्मान अर्जित कर नगर का नाम पूरे प्रांत में रोशन किया। इन चारों विद्यार्थियों के साथ देवेंद्रनगर विद्यालय प्राचार्य श्री पूरन सिंह राजपूत को उत्कृष्ट शैक्षणिक मार्गदर्शन हेतु मंच से सम्मानित किया गया, वहीं अभिभावकों को भी सार्वजनिक रूप से अभिनंदित किया गया, जो विद्या भारती की एक प्रेरणास्पद परंपरा है। इससे पूर्व पन्ना जिला प्रशासन द्वारा आयोजित समारोह में कलेक्टर की उपस्थिति में भी इन विद्यार्थियों को सम्मान प्राप्त हो चुका है। विद्यालय परिवार ने घर-घर पहुंचकर इन होनहारों का अभिनंदन कर नगरवासियों को गौरव की इस भावना से जोड़ा है। यह उपलब्धि न केवल देवेंद्रनगर की शैक्षिक क्षमता को प्रमाणित करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि अनुशासन, परिश्रम और संस्कार के साथ शिक्षा से जुड़ाव हो तो कस्बों से भी राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ प्रतिभाएँ निकल सकती हैं।

जिपं सीईओ ने समग्र ई-केवायसी सत्पायन कार्य में लापरवाही पर पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों के विरूद्ध की कार्रवाई

पन्ना। शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में हितग्राहियों को आगामी दिवसों में पारदर्शी तरीके से शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए समग्र ई-केवायसी सत्यापन का कार्य संचालित है। इसकी शासन स्तर से निरंतर समीक्षा भी की जा रही है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमराव सिंह मरावी द्वारा इस संबंध में समस्त ग्राम पंचायतों को शत प्रतिशत ई-केवायसी सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। इसके बावजूद कई ग्राम पंचायतों द्वारा इस कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। जिले की सबसे कम प्रगति की ग्राम पंचायत सुंगरहा, जनपद पंचायत गुनौर की सचिव सुमन अहिरवार एवं ग्राम पंचायत सिंघौरा जनपद पंचायत गुनौर के सचिव काशी प्रसाद यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस क्रम में जिले की न्यून प्रगति वाली ग्राम पंचायतों में जनपद पंचायत गुनौर की 15 ग्राम पंचायत विक्रमपुर, सिरी, सिठौली, जसवंतपुरा, पुरैना, द्वारी, बलगहा, बरशोभा, गंज, गौरा, बमुरहा, झरकुआ, बंधौरा, बिलघाड़ी, धरवारा, जनपद पंचायत पन्ना की 12 ग्राम पंचायत गजना, उमरी, धरमपुर, रमखिरिया, झरकुआ, सिरस्वाहा, सकरिया, लुहरहाई, जनवार, बड़ौर, बड़गड़ीखुर्द, मकरी कुठार तथा जनपद पंचायत अजयगढ़ की एक ग्राम पंचायत राजापुर के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाकर स्पष्टीकरण सहित जिला पंचायत में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।

खबर संक्षेप

शराब के नशे में धुत्त आरक्षक ने मचाया उत्पात

छतरपुर। कोतवाली थाना के एक आरक्षक द्वारा शराब के नशे में धुत्त होकर एक गरीब व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कोतवाली थाना में पदस्थ आरक्षक अरुणेन्द्र प्रताप सिंह शराब के नशे में धुत्त होकर शहर के महोबा रोड स्थित चर्च के समीप बीच सड़क पर गाली-गलौज करते नजर आ रहे हैं। वहीं मौजूद एक रिक्शा चालक ने आरोप लगाया कि आरक्षक द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और एक पत्थर उसके ऊपर पटका गया जिससे उसे चोट आई है। सीएसपी अमन मिश्रा ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया है, जिनकी जांच की जा रही है। जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी।

न्यू ट्रांसफर माड्यूल पर जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

खजुराहो। खजुराहो रेलवे स्टेशन पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार , वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी राजेश कुमार पांडेय के निर्देशन में खजुराहो स्टेशन प्रबंधक कार्यालय पर यू6 निफाइड पेंशन स्कीम और न्यू ट्रांसफर मॉड्यूल पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें अलग - अलग विभाग के 37 कर्मचारियों द्वारा प्रतिभागिता सुनिश्चित की गई। शिविर में यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर विस्तार से जानकारी दी गई एवं यूपीएस विकल्प फॉर्म उपलब्ध कराये गए। शिविर में नितिन शर्मा एवं कल्याण निरीक्षक बीएस मीना, राजीव पांडेय, टीआई मान सिंह मीना. एसएसई/ईएलई संतोष यादव, एलओडब्ल्यू दीपक चतुर्वेदी कार्यालय अधीक्षक मानवेंद्र सिंह जेईसी एण्ड डब्ल्यू अभिषेक मिश्रा सीव्हीपीएस संजय खरे एसएम मोहित सैनी सहित रेलवे स्टॉफ उपस्थित रहा।

महिला बाल विकास के परियोजना कार्यालयों में खुलेंगे आधार केंद्र

छतरपुर। कलेक्टर जिला छतरपुर के माध्यम से रजिस्ट्रार महिला एवं बाल विकास विकास भोपाल के अधीन बाल विकास परियोजना कार्यालयों में आधार मशीनों के संचालन हेतु आधार बनाये जाने, आधार अपडेशन के लिये आधार ऑपरेटर्स के चयन किया जाना है। जिसके लिए 9 जून से 12 जून 2025 तक कार्यालयीन दिवसों में आवेदन पत्र कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला छतरपुर पता गुरु नानक पार्क के पास, विद्युत विभाग के सामने छतरपुर में आवेदन आमंत्रित किए गए है। आधार ऑपरेटर्स के चयन के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तें, आवेदन का प्रारूप, संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज एवं अन्य जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला छतरपुर से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

जिला प्रशासन ने अनुसूचित जाति अधिनियम अंतर्गत मृतक के परिजनों को 412500 रुपए की राशि स्वीकृत की

छतरपुर। एस.सी.एस.टी. एक्ट 25 स, 27 आम्र्स एक्ट में आठ लाख पच्चीस हजार स्वीकृति का प्रावधान है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (33) के अंतर्गत म.प्र. शासन आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय के नियम 1995 के प्रावधान, योजना नियम में वर्णित प्रावधान अनुसार भारतीय दण्ड की धारा 115 (2), 109 (1) 296, 3 (5) बी.एन.एस इजाफा धारा 103 (1), बी.एन.एस 3 (1) (द), 3 (1) (ध), 3 (2) (अं), एस.सी.एस.टी. एक्ट 25 ,27 आम्र्स एक्ट में आठ लाख पच्चीस हजार स्वीकृति का प्रावधान है। जिसमें शव परीक्षण के पश्चात पचास प्रतिशत राशि एवं पचास प्रतिशत राशि जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजे जाने का प्रावधान है। जिला स्तरीय राहत स्वीकृति समिति के अनुमोदन अनुसार (मृतक स्व. पंकज प्रजापति) बृजगोपाल प्रजापति पिता रामलाल प्रजापति उम्र 40 वर्ष नि.ग्राम कुम्हार टोली नौगांव थाना को शव परीक्षण पश्चात 50 प्रतिशत राशि 412500 (चार लाख बारह हजार पांच सौ रुपए) की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त प्रकरण थाना नौगांव से प्राप्त, एम.एल.सी.पी.एम. रिपोर्ट के आधार पर राशि आहरण एवं भुगतान की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

पेट्रोल पम्पों में खुलेआम मिलावट के साथ नाप में दिया जा रहा कम, आए दिन ग्राहक लगा रहे आरोप

पॉवर पेट्रोल के नाम पर लूटा जा रहा उपभोक्ताओं को, जिला आपूर्ति अधिकारी ने साधी चुप्पी

हरिभूमि न्यूज, छतरपुर।

जिला मुख्यालय सहित तहसील स्तर पर सेकड़ों पेट्रोल पम्प खुले हुए है। इन पेट्रोल पम्पों में वाहन चालकों को पेट्रोल भराते समय हवा, पानी और छाया की ब्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अधिकांश पेट्रोल पम्पों में यह सुविधाए गायब है। शत प्रतिशत पेट्रोल पम्पों में खुलेआम मिलावट खोरी की जा रही है। और नाप में भी पेट्रोल कम दिया जा रहा है। कुछ पेट्रोल पम्पों में पॉवर बाला पेट्रोल बेंचा जाता है। और इस पॉवर बाले पेट्रोल में एक लीटर में लगभग 10-15 रूपए अतिरिक्त लिए जाते है। और यह कहा जाता है कि यह पावर पेट्रोल है। इस तरह उपभोक्तओं को एक और नाप में कम और मिलावट करके लूटा जा रहा है। तो बहीं दूसरी ओर पावर पेट्रोल के नाम पर भी अधिक पैसे लेकर लूटा जा रहा है। लेकिन जिम्मेदार आपूर्ति विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए है। क्योंकि आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की हर माह जैबें पेट्रोल पम्प मालिकों द्वारा गर्म की जाती है। इसलिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। जिससे उपभोक्ता खुलेआम लूटने को मजबूर है। पेट्रोल पम्प में इन सब घटनाओं का विरोध करने पर पेट्रोल पम्प मालिकों के गुण्डे लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाते है। कई बार बाहन चालकों द्वारा पेट्रोल पम्पों में मिलावट खोरी की शिकायत की गई, लेकिन पेट्रोल पम्पों के संचालक इस बात को मानने के लिए तैयार ही नही है कि उनके पेट्रोल पम्पों में मिलावट

होती है। मिलावट बाले पेट्रोल से बाहन खराब हो रहे है।

अधिकारियों द्वारा समय-समय पर नही भरा जाता पेट्रोल का सैम्पल -

आपूर्ति विभाग के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वह समय समय पर शिकायत मिलने पर पेट्रोल पम्पों से पेट्रोल का सैम्पल भर कर जांच के लिए भेजे, लेकिन फीलगुड के चलते आपूर्ति विभाग के अधिकारी सैम्पल भरने की कार्यवाही नही कर रहें है। जिससे मिलावट खोरी करने बाले पेट्रोल पम्प संचालकों के हौसले बुलंद है। ऐसा नही है कि प्रत्येक पेट्रोल पम्प में मिलावट हो रही हो। लेकिन तमाम ऐसे पेट्रोल पम्प है, जहां मिलावट की जाती है। जिला मुख्यालय में ही कई ऐसे पेट्रोल पम्प देखने को मिल रहें है। जहां मिलावट के साथ कम नाप में पेट्रोल दिया जाता है।

कलेक्टर के आदेश की उडाई जाती धज्जियां -

जिला कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश है कि बोतल में पेट्रोल कतई ना दिया जाए, यदि बोतल में पेट्रोल दिया जाता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी। लेकिन पेट्रोल पम्पों में काम करने बाले कर्मचारी कलेक्टर के इस आदेश की खुलेआम धज्जियां उडाते है, और बोतलों में पेट्रोल उपभोक्ताओं को दे रहे है। जबकि स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी हालत में बोतल में पेट्रोल नहीं दिया जाए लेकिन आय दिन देखने को मिल रहा है कि उपभोक्ता को बोतल में पेट्रोल दिया जा रहा है। कई बार जवल्लन शील पदार्थो के कारण घटनायें होते होते बची है। यदि बोतल में पेट्रोल ले जाकर कोई ब्यक्ति किसी घटना को अजांम दे दे, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। इन्ही सब घटनाओं को रोकने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बोतल में पेट्रोल देने पर रोक लगाई गई थी। लेकिन पैसा कमाने और अधिक ब्रिकी के चक्कर में पेट्रोल पम्पों के कर्मचारी खुलेआम बोतल में पेट्रोल बेच रहें है।

गली गली में अबैध रूप से बिक रहा पेट्रोल -

पेट्रोल पम्पों के अलावा जिला मुख्यालय छतरपुर में गली गली में और गांव गांव में खुलेआम पेट्रोल अवैध रूप से बेचा जा रहा है। किराना दुकानदार बोतलों में और केनों में पेट्रोल भरकर रखे रहतें है जो बाहन चालक को 10 रूपए प्रतिलीटर बेचकर इस अवैध धंधे को संचालित कर रहें है। विचारणीय प्रश्न तो यह है कि इन किराना दुकानदारों को पेट्रोल बेचने के लिए कहां से मिलता है, क्या कभी आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने इस बात को जानने का प्रयास किया।

यूपी में पेट्रोल सस्ता होने कारण किराना दुकानदार बड़े बड़े केनो में पेट्रोल भरकर बसों में रख लाते है जबकि इस तरह का ज्वलनशील प्रदार्थ बसों में लाना खतरें से खाली नहीं है। नौगांव के आगे युपी की सीमा में खमा, इधर महोबा रोड़ में श्रीनगर सहित यूपी की नजदीकी सीमा में लगे पेट्रोल पम्पों से केनों में पेट्रोल भरकर लाया जाता है और खुलेआम गली गली में रखकर पेट्रोल बेचा जा रहा है। आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने आज तक इस तरह की धरपकड़ नही की है। अगर समय समय पर जांच होती रहें तो शायद इस तरह के अबैध धधें पर रोक लग सकती है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुम्भकरणीय नीदं में सोए हुए है।

इनका कहना है -

यह जानकारी मुझे भी प्राप्त हो रही है, मैं कार्यवाही करवाता हूं।

सीताराम कोठारे
जिला आपूर्ति अधिकारी, छतरपुर

मंदिर पर दबंगों ने जमाया कब्जा, पुजारी ने कलेक्टर से की शिकायत

छतरपर। ग्राम बारी के रामलला मंदिर के पुजारी और श्री रामलला सरकार जनसेवा समिति के सदस्य साधुदास उर्फ वीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को कलेक्टर, एसपी को एक ज्ञापन सौंपा है। पुजारी साधुदास का आरोप है कि एसडीएम अखिल राठौर द्वारा आपराधिक प्रवत्ति के दबंगों को मंदिर की व्यवस्था सौंप दी गई है, जो कि नियमानुसार गलत है। पुजारी साधुदास ने बताया कि वह कई वर्षों से मंदिर में पूजा-पाठ और संपूर्ण व्यवस्था करते आ रहे हैं। 19 अप्रैल 2025 को एसडीएम छतरपुर अखिल राठौर प्रशासनिक अमले के साथ मंदिर गए थे जहां मंदिर के नियमों का उल्लंघन करने पर एसडीएम से उनकी कहासुनी हो गई थी। इससे नाराज होकर एसडीएम ने उनके विरुद्ध मामला दर्ज कराकर जेल भेजने की कार्रवाई करा दी और मंदिर की जिम्मेदारी गांव के दबंग करन सिंह, शैलेन्द्र तिवारी, अरविंद सिंह आदि को सौंप दी। ज्ञापन देकर पुजारी साधुदास ने मांग की है कि उक्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए मंदिर की व्यवस्था से तत्काल प्रभाव दूर किया जाए और मंदिर की जिम्मेदारी उन्हें दी जाए। पुजारी साधुदास ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि उनके ज्ञापन पर विचार नहीं किया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।

वन विभाग ने बिना सूचना दिए छीन ली जमीन
न्याय मांगने कलेक्टर के पास पहुंचे किसान

हरिभूमि न्यूज, छतरपुर।

सटई तहसील क्षेत्र के ग्राम कसान के किसानों ने मंगलवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई में ज्ञापन देते हुए बताया कि जिस जमीन पर वे अपने पूर्वजों के समय से खेती-किसानी करते आ रहे हैं, उस जमीन को वन विभाग द्वारा छीना जा रहा है, जिससे वह परेशान हैं। कलेक्टर को आवेदन देकर किसानों ने न्याय की गुहार लगाई है।

कसार निवासी रतिराम, मुन्ना, लखनलाल सहित अन्य किसानों ने बताया कि शासकीय रिकॉर्ड में उनके नामों पर दर्ज भूमि को वन विभाग द्वारा जबरन छीना जा रहा है। किसानों ने बताया कि वन विभाग और राजस्व विभाग द्वारा

कभी भूमि का सीमांकन नहीं कराया गया। बिना सूचना दिए 9 जून को वन विभाग की टीम करीब एक दर्जन जेसीबी मशीनें लेकर जमीन पर पहुंचे और गड्ढे खोदने लगे। जब अधिकारियों से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि - यह जमीन वन विभाग की है। ज्ञापन देकर किसानों ने वन विभाग द्वारा जबरन की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई है।

सीमांकन और रिकॉर्ड सुधार के लिए परेशान हो रहा किसान

छतरपुर।

अपने स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराने और रिकॉर्ड के अनुसार भूमि पर कब्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई में पहुंचे आवेदक ने बताया कि वह लंबे समय से अधिकारियों को अपनी समस्या बताते आ रहा है लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई।

घुवारा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम देवपुर निवासी किसान छंदा बंसल ने बताया कि गांव में उसके स्वामित्व की भूमि है, जिस पर वह वर्षों से खेती करते आ रहा है। पूर्व में उसकी जमीन के आसपास स्थित अन्य जमीनों के मालिकों से उसका विवाद हो गया था, जिसके बाद उसने घुवारा तहसील को सीमांकन के लिए आवेदन दिया था।

तहसीलदार के आदेश पर आरआई, पटवारी ने सभी भू-स्वामियों से हस्ताक्षर तो कराए लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। छंदा के मुताबिक उसे रिकॉर्ड सुधार और सीमांकन का आश्वासन दिया गया था लेकिन आज तक न तो सीमांकन किया गया और न ही रिकॉर्ड सुधार। छंदा के मुताबिक वह पूर्व में जनसुनवाई में भी आवेदन दे चुका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वहां गांव में लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है, जिस कारण से पूरा परिवार दहशत में है।

लवकुशनगर के शिवम शर्मा को मिली पीएचडी की उपाधि

बुंदेलखंड की महिलाओं पर शोध, दादाजी के सपने को किया साकार

लवकुशनगर।

नगर के एक युवा ने अपने शोध कार्य से न केवल अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, बल्कि बुंदेलखंड की महिलाओं की स्थिति को उजागर कर समाज के लिए नई दिशा दिखाई। उनके इस कार्य ने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया, साथ ही सामाजिक मुद्दों पर शोध की कमी को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। उल्लेखनीय है कि छतरपुर जिले की लवकुशनगर तहसील निवासी स्वर्गीय श्याम लाल शर्मा के सुपौत्र शिवम शर्मा (तनु) को इतिहास विषय में शोध कार्य के लिए 10

जून 2025 को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई। शिवम ने भोपाल के शासकीय हमीदिया महाविद्यालय के इतिहास विभाग की अध्यक्ष प्रो. रचना मिश्रा के मार्गदर्शन में स्वतंत्र भारत में स्त्री - दशा एवं दिशा (बुंदेलखंड के विशेष संदर्भ में) विषय पर अपना शोध पूरा किया। शिवम ने बताया कि बुंदेलखंड में पितृसत्तात्मक विचारधारा का प्रभाव आज भी गहरा है, जिसके कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चियों की स्थिति अन्य क्षेत्रों की तुलना में पिछड़ी है। उन्होंने शोध से पहले पाया कि बुंदेलखंड की महिलाओं के जीवन पर केंद्रित शोध का अभाव है। इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने यह विषय चुना। प्रो. रचना मिश्रा के मार्गदर्शन में उन्होंने सर्वेक्षण के जरिए आंकड़े जुटाए और शोध को मौलिक बनाया। शिवम ने अपनी उपाधि अपने दादाजी को समर्पित की, जो उनके नाम के आगे 'डॉक्टर जुड़ने की इच्छा रखते थे। उन्होंने ईश्वर, परिवार, गुरुजनों और साथियों का आभार व्यक्त किया। शिवम का यह शोध बुंदेलखंड की महिलाओं और बच्चियों के लिए नई आशा जगाता है, ताकि वे बिना पूर्वाग्रह के अपने सपनों को साकार कर सकें।

जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो कुटकी एवं सोयाबीन का क्षेत्रफल बढ़ाने का प्रयास करें: कलेक्टर
खरीफ को ध्यान में रखते हुए उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश

निष्क्रिय पड़ी दुग्ध डेयरी समितियों को सक्रिय करने के दिए निर्देश मत्स्य विभाग को मत्स्य पालन के लिए तालाबों को पट्टे पर कराने के निर्देश

छतरपुर।

कलेक्टर पार्थ जैसवाल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कमेटी (एपीसी) की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उप संचालक कृषि डॉ के.के वैद्य, उपसंचालक पशु चिकित्सा डॉ. आर.ए. सेन, सहायक संचालक मत्स्य विभाग नितिन वर्मा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर श्री जैसवाल ने कृषि, मार्कफेड, बीज प्रमाणीकरण विभागों के प्रमुख बिन्दुओं जिनमें खरीफ फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन एवं उत्पादकत्ता, डीएपी के स्थान पर अन्य वैकल्पिक उर्वरकों, जिले में उर्वरक की उपलब्धता डबल लॉक केन्द्रों के आधुनिकीकरण, उर्वरक वितरण की कार्ययोजना, सिंचाई के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर के प्रयोग, प्रयोगशालाओं में मिटटी परीक्षण, फॉर्मर रजिस्ट्री, नरवई प्रबंधन, बीज प्रमाणीकरण, मण्डीयों में संचालित योजनाओं की समीक्षा की। कलेक्टर श्री जैसवाल ने खरीफ वर्ष 2024 की समीक्षा करते हुए फसल जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो कुटकी एवं सोयाबीन का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए प्रयास करने के डीडी एग्रीकल्चर को निर्देश दिए। साथ ही खरीफ फसलों को ध्यान में रखते हुए उर्वरक को उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। पिछले वर्ष 2 हजार हेक्टेयर में ड्रिप

स्प्रिंकलर का प्रयोग किया गया जिसे बढ़ाकर 5 हजार हे. में करने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर ने हैप्पी सीडर और सुपर सीडर के बारे में किसानों को प्रेरित करने के दिए निर्देश

कलेक्टर ने कृषि अभियांत्रिकी को हैप्पी सीडर और सुपर सीडर के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए कहा और कहा कि इसके और अधिक आवेदन आएं। कलेक्टर ने डीएमओ मार्कफेड से यूरिया, डीएपी की उपलब्धता के बारे में जानकारी लेते हुए जिले में मांग और उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि जिले शेष 9 डबल लॉक में शेड और बैठक व्यवस्था के कार्य को शीघ्र प्रारंभ करें।

फॉर्मगेट ऐप पर किसानों के पंजीयन बढ़ाने के निर्देश

कलेक्टर ने जिले में किसानों के फॉर्मगेट ऐप पर पंजीयन बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि मंडी सचिवों को लगाकर इसकी प्रगति बढ़ाएं। इसके साथ ही उन्होंने ई अनुज्ञा प्रणाली, ई मंडी योजना, एआईएफ योजना आदि की भी समीक्षा की।

उद्यानिकी विभाग अंतर्गत फसलों के क्षेत्र विस्तार के दिए निर्देश

उद्यानिकी विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने उद्यानिकी फसलों जिनमें फल, सब्जी, मसालों, पुष्प आदि के क्षेत्र विस्तार के निर्देश दिए। और कहा कि किसानों को अटल भू जल योजना का लाभ दें एवं पीएफएमई योजना में प्रगति बढ़ाने के भी निर्देश दिए।

कलेक्टर ने पशुपालन एवं डायरी विभाग के प्रमुख कार्यों में पशुओं के नस्ल सुधार, पशुपोषण, वित्तीय पोषण राष्ट्रीय पशुधन मिशन, कृत्रिम गर्भाधान एवं मुख्यमंत्री डायरी प्लस योजना आदि कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पशुओं में मुंह खुरी रोग के कम टीकाकरण होने पर नाराजगी व्यक्त की और टीकाकरण बढ़ाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने मत्स्य विभाग को मत्स्य पालन के लिए तालाबों को पट्टे पर कराने के निर्देश दिए और मत्स्य बीज के उत्पादन की तैयारी के लिए भी निर्देशित किया।

समितियों के खाद लाइसेंस के नवीनीकरण के दिए निर्देश

कलेक्टर ने जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को कृषि संबंधी ऋण वितरण देने के निर्देश दिए और जिला बैंक शाखाओं से कस्टम हायरिंग केंद्र के कम से कम 10 आवेदन के ऋण मंजूर करने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने कृषि ऋण की वसूली बढ़ाने के समिति प्रबंधक को निर्देश दिए और कहा कि 30 जून तक यदि वसूली नहीं आती है तो 1 वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। इसके साथ ही कलेक्टर ने अप्रैल से सितंबर माह वाली पैक्स कंप्यूटराइज्ड अंतर्गत ईआरपी एंट्री को जल्द से जल्द बढाए जाने और संस्थाओं को ई पैक्स बनाए जाने और समितियों को खाद लाईसेंस के नवीनीकरण कराने के भी निर्देश दिए।

खबर संक्षेप

कृषि वैज्ञानिक विकसित कृषि संकल्प अभियान में दे रहे उन्नत खेती की जानकारी

रीवा। जिले के सभी विकासखण्डों में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में कृषि विभाग के अधिकारी और कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिक किसानों को उन्नत खेती का मंत्र दे रहे हैं। शिविरों में किसानों को कृषि, पशुपालन तथा मछली पालन विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने बताया कि 10 जून को रीवा विकासखण्ड के ग्राम सुमेधा और बिहरा में शिविर लगाए गए। इनमें कृषि वैज्ञानिक डॉ चन्द्रजीत सिंह ने किसानों को फसलों की कतार से कतार में बोनी, खरपतवार नियंत्रण तथा फसल में खाद के संतुलित उपयोग की जानकारी दी। किसानों को उनके खेतों की माटी का परीक्षण कराकर मृदा हेल्थ कार्ड बनाने की समझाइश दी गई। शिविर में किसानों को मिल रही उपयोगी जानकारी की प्रशंसा करते हुए सरपंच बिहरा तथा प्रगतिशील किसान अजय सिंह ने कहा कि किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की सलाह दी गई। किसानों को कई आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग की जानकारी दी। कृषि विभाग किसानों के बीच जाकर सदैव मार्गदशन करे।

कलेक्टर आज करेंगी ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा

रीवा। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल की अध्यक्षता में 11 जून को ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जायेगी। कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 11 बजे से आयोजित बैठक में जनपद पंचायतों के सीईओ, आरईएस के कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री, उपयंत्री तथा जिला पंचायत के अधिकारी उपस्थित रहेंगे। सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर ने संबंधितों को अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थिति के निर्देश दिये हैं। बैठक में जल गंगा संवर्धन अभियान प्रधानमंत्री आवास, नल जल योजना तथा सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी।

रानीतालाब परिसर के समीप झुग्गी-झोपड़ी अतिक्रमण हटाया गया

रीवा। नगर निगम और पुलिस बल ने मिलकर रानीतालाब परिसर की दीवार से सटे अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई की। बताया गया कि बरसात में इस दीवार के गिरने की संभावना से जनधन हानि का खतरा था, और कुछ लोग यहां अवैध रूप से रह रहे थे। इस स्थल पर रह रहे पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन आवंटित कर पक्के मकानों में शिफ्ट कराया गया जिसके बाद जगह खाली कराई गई। नगर निगम ने इन लोगों को पहले ही नोटिस और मुनादी के जरिए जगह खाली करने के लिए सूचित किया था, लेकिन जब उन्होंने जगह खाली नहीं की, तो प्रशासन को यह कार्रवाई करनी पड़ी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान, जिन हितग्राहियों को आवास आवंटित हुए थे, उनके सामान को वाहनों द्वारा रतहरा पीएम आवास में पहुंचाकर शिफ्ट कराया गया।

एक साथ तीन महीने का होगा खाद्यान्न वितरण

रीवा। उचित मूल की दुकान में एक बार फिर हितग्राहियों को तीन माह का खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है शासन स्तर पर मिले निर्देश के बाद जून माह के पहले सप्ताह से ही खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बारिश के मौसम को देखते हुए कलेक्टर प्रतिभा पाल के द्वारा जल्द से जल्द हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्यान्न की सप्लाई पीडीएस की दुकानों में शुरू हो चुकी है और हितग्राहियों को जागरूक करने के लिए सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार इस वर्ष भी 3 माह का राशन हितग्राहियों को एक साथ वितरित किया जा रहा है इसके लिए सभी अधिकारियों को समय पर खाद्यान्न पीएफ की दुकानों पर पहुंचने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही हितग्राहियों को भी केवाईसी करने की सलाह दी गई है जिससे किसी भी तरह की परेशानी न हो।

बालक व बालिका को पुलिस ने परिजनों को सौंपा

रीवा। जिले के जनेह थाना पुलिस ने 15 वर्षीय बालक व बालिका को 5 दिवस के अंदर दस्तयाब कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। मिली जानकारी अनुसार बीते 3 जून को थाने में शिकायत दी गई थी कि 15 वर्षीय लड़की घर से स्कूल जाने को बोलकर निकली थी जो घर वापस नही आई, फरियादी की रिपोर्ट पर से लड़की नाबालिक होने पर थाना जनेह ने जांच शुरु की और किशोरी को दस्तयाब किया।

कमिश्नर ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से की आपदा प्रबंधन की समीक्षा

आपदा प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं तत्काल दें

हरिभूमि न्यूज, रीवा ।

कमिश्नर कार्यालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ने बाणसागर परियोजना से जुड़े जिलों में बाढ़ की स्थिति में राहत एवं बचाव तैयारियों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी जिलों के अधिकारी बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा करके 25 जून तक राहत एवं बचाव कार्य से जुड़ी तैयारियां पूरी कर लें। बाढ़ की स्थिति में राहत शिविर लगाने के लिये स्थान के चयन से लेकर बचाव दल, राहत के उपकरण, दवाओं, खाद्य सामग्री की आपूर्ति तथा बिजली एवं पानी की व्यवस्था से जुड़ी कार्यवाहियां सुनिश्चित करें। बाढ़ पर नियंत्रण के लिये समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान आवश्यक है। जिला तथा तहसील स्तर पर बाढ़ नियंत्रण केन्द्र स्थापित करके इनमें प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात कर दें। सूचनाओं का एक दूसरे को लगातार आदान-प्रदान करते रहें। बांधों से पानी छोड़े जाने अथवा लगातार वर्षा की स्थिति में सभी जिले सतत संपर्क में रहें। बाढ़ से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं तत्काल दें। कमिश्नर ने कहा कि बाणसागर बांध की अप स्ट्रीम तथा डाउन स्ट्रीम में बाढ़ संभावित क्षेत्र चिन्हांकित हैं। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लें। बाढ़ से बचाव के लिये व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों को जोड़ें। इस ग्रुप में गांव के कुछ व्यक्तियों तथा पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जैसे मैदानी कर्मचारियों को भी शामिल करें। समय पर सही सूचना मिलने से राहत और बचाव कार्य में आसानी होगी। बाणसागर बांध की डाउन स्ट्रीम में सीधी तथा सिंगरौली जिले के 129 गांव बाढ़ संभावित हैं। आपदा प्रबंधन के लिये संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश पत्र जारी कर दिये गये हैं। इनके अनुरूप कार्यवाही करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए पर्याप्त दवाएं भण्डारित करा दें। बैठक में आईजी रीवा रेंज गौरव राजपूत ने कहा कि बाढ़ से बचाव के लिए समय रहते तैयारियां कर ली गईं तो कोई परेशानी नहीं होगी। बाणसागर बांध में अधिकत जल स्तर तक पानी आने से पहले ही उसे नियंत्रित रूप से छोड़ना शुरू कर दें। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के सदस्यों तथा होमगार्ड्स एवं राहत और बचाव से जुड़े अधिकारियों के मोबाइल नम्बर व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर लें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में लाइफ जैकेट भी भण्डारित कराएं। जल संसाधन विभाग, राजस्व विभाग तथा पुलिस विभाग के अधिकारी तत्परता से बाढ़ संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान करें। सभी कंट्रोल रूम एक दूसरे की सूचनाएं साझा करें। बैठक में मुख्य अभियंता गंगा कछार अशोक डेहरिया ने बाणसागर बांध के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बांध के जल भराव क्षेत्र में 79 गांव आंशिक रूप से डूब में आते हैं। इन गांवों में ही बाढ़ की समस्या होती है। बांध के पूरे क्षेत्र को 6 जोन में बांट कर जोनल अधिकारी तैनात कर दिये गये हैं। कटनी जिले के 27 गांव तथा उमरिया जिले के 18 गांव बांध के बैक वाटर से प्रभावित होते हैं। बैठक में लोक निर्माण विभाग को अति वर्षा की स्थिति में जलमग्न होने वाले पुल-पुलियों में संकेतक तथा बैरियर लगाने के निर्देश दिये गये। बैठक में अपर कमिश्नर नीतू माथुर, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी संजय खाण्डे, कार्यपालन यंत्री मनोज तिवारी, कार्यपालन यंत्री आरपीएस कंवर, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता, उपायुक्त श्रेयस गोखले, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में वर्चुअल माध्यम से आईजी शहडोल, डीआईजी शहडोल, कलेक्टर शहडोल, कलेक्टर सीधी, कलेक्टर मैहर तथा विभिन्न जिलों के पुलिस, राजस्व एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारी शामिल हुए।

बरदहा घाटी से गुजरने वाले लोगों से लूट करने वाले, तीन शातिर आरोपी गिरफ्तार

बाईक भी बरामद, सिरमौर पुलिस ने की कार्यवाही

रीवा।

जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत बरदहा घाटी में तीन दिन पूर्व हुई लूट की वारदात का खुलासा सिरमौर पुलिस ने कर दिया है वारदात में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट का सामान बरामद कर लिया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए सिरमौर थाना प्रभारी जेपी पटेल ने बताया की लूट के आरोपी प्रकाश सिंह बघेल निवासी पिपरी थाना बैकुंठपुर, हिमांशु पटेल निवासी सौर थाना बैकुंठपुर, यशराज सिंह बघेल उर्फ लालू निवासी तिलखन थाना बैकुंठपुर के द्वारा बिना नंबर की बाईक से बरदहा घाटी के पास लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। घटना 7 जून को रात्रि 8 बजे घटित हुई थी। थाना प्रभारी ने बताया कि फरियादी रणविजय सिंह निवासी भानीगंवा थाना जवा अपने घर की ओर जा रहे थे तभी खिनौची मोड़ के पास घात लगाए तीनों आरोपी पहले फरियादी रणविजय सिंह के साथ झूमा झटकी की और इसके बाद मोबाइल और संबंधित फोन पे का पासवर्ड लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए थे। इसके बाद बैकुंठपुर में पेट्रोल पंप में फरियादी से पासवर्ड लेकर 11 हजार रुपए नगद निकाल लिए घटना के बाद पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वारदात की जानकारी मिलते ही सिरमौर पुलिस ने आरोपियों की धर पकड़ तेज की और तीनों लूट के आरोपी पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं, पकड़े गए आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।

ग्राम व नगर रक्षा समितियों के पुर्नगठन पर पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक हुई

आयोजित जनभागीदारी को लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

रीवा।

पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर जिले में ग्राम और नगर रक्षा समितियों के पुर्नगठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसी कड़ी में सोमवार को रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने की। बैठक में जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में आमसभा कर समिति के नए सदस्यों की नियुक्ति करें और उन्हें अधिकारों व जिम्मेदारियों की जानकारी भी दें। एएसपी आरती सिंह ने कहा कि इन समितियों के जरिए आमजन को सुरक्षा व्यवस्था में सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है, जिससे न केवल अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी, बल्कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास भी मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि समितियों में ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो समाज के प्रति जिम्मेदार हों और अपने मोहल्ले या गांव की सुरक्षा में सहयोग देने को तैयार हों। बैठक में यह भी तय किया गया कि हर थाना प्रभारी ग्राम व नगर रक्षा समिति के सदस्यों से नियमित रूप से संवाद करेगा और उनकी समस्याओं व सुझावों को गंभीरता से लेगा।समीक्षा बैठक में सुबेदार दिलीप तिवारी, अंजली गुप्ता, अखिलेश कुशवाहा समेत जिले के अन्य अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। बॉक्स यह बताए गए लाभ समिति सदस्य आपराधिक गतिविधियों की सूचना गोपनीय रूप से दे सकते हैं।पुलिस जांच में सहयोग करने पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।जरूरत पड़ने पर उन्हें विशेष पहचान पत्र और प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे।

कलेक्टर ने 129 आवेदकों की सुनी समस्यायें, दिव्यांग कुंजबिहारी को तत्काल वैशाखी उपलब्ध कराने के कलेक्टर ने दिये निर्देश

रीवा । कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने 129 आवेदकों की समस्यायें सुनी तथा संबंधित आवेदनों को विभागीय अधिकारियों को प्रेषित कर संतुष्टिपूर्वक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान डिहिया निवासी दिव्यांग कुंजबिहारी वर्मा को तत्काल वैशाखी उपलब्ध कराने के निर्देश सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी को दिये। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित जनसुनवाई में घूमन निवासी अवधराज पाण्डेय, चोरगड़ी निवासी रामप्रसाद पटेल, भाटी निवासी गोपालशरण पाण्डेय तथा तिघरा निवासी बालमीक शुक्ला के सीमांकन कराने के आवेदनों को संबंधित तहसीलदार को प्रेषित कर कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये। इसी प्रकार मदरी के संतोष पटेल ने सीमांकन कराकर नक्शा तरमीम किये जाने का आवेदन दिया जिसे तहसीलदार गंगेव को तथा देवगांव निवासी ममता तिवारी के नामांतरण के आवेदन को तहसीलदार मनगवां को कार्यवाही करने हेतु प्रेषित किया गया। जनसुनवाई में प्रदीप कुमार शाहपुर ने खसरा सुधार का आदेश कम्प्यूटर में फीड कराने का आवेदन दिये जिस पर एसडीएम सिरमौर को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। रामलाल श्रीवास्तव मझिगवां ने पुलिस की उपस्थिति में सीमांकन कराने का आवेदन प्रस्तुत किये कलेक्टर ने तहसीलदार हुजूर को कार्यवाही के निर्देश दिये। इसी प्रकार पिपरी जोकहा के निवासियों के प्रचलित रास्ता से अतिक्रमण हटाकर पुनः प्रारंभ करने तथा मिट्टीकरण कराने आवेदन को तहसीलदार सिरमौर को, बालेन्द्र शेखर गौतम जुड़वानी निवासी के अतिक्रमण हटाने के आवेदन को तहसीलदार सेमरिया को तथा स्थगन के उपरांत सीमांकन की जांच के संबंध में चुनरी निवासी प्रतिभा सिंह के आवेदन को एसडीएम त्योंथर को कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित किया गया। अंबिका प्रसाद तिवारी अतरैला ने मुआवजा राशि का बैंक द्वारा प्रेषण न करने का आवेदन दिया। कलेक्टर ने एलडीएम को कार्यवाही करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में तमरा निवासी अल्कारानी सिंह के लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत प्रमाण पत्र दिलाये जाने के आवेदन पर कलेक्टर ने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को कार्यवाही करने के निर्देश दिये। कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर तथा संयुक्त कलेक्टर पी.के. पाण्डेय ने भी लोगों की समस्यायें सुनीं।

जमीन विवाद में बिगड़े हालात, हिनौती गांव में चली गोली

रीवा। जिले के सेमरिया थाना अंतर्गत हिनौती गांव रविवार को तब दहशत के साये में आ गया जब पुरानी जमीन रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष छिड़ गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई से होते हुए हवाई फायरिंग तक जा पहुंची। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी अनुसार हिनौती गांव में रहने वाले अशोक पाठक और राजेश सिंह के बीच पिछले कुछ समय से एक खेत की सीमा को लेकर विवाद चल रहा था। रविवार को दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और देखते ही देखते मामला गाली-गलौज से बढ़कर हिंसक रूप ले बैठा। एक पक्ष ने मारपीट के दौरान लाइसेंसी बंदूक निकालकर हवाई फायर कर दिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सेमरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फायरिंग में प्रयुक्त लाइसेंसी बंदूक जब्त कर ली है। घटना में दोनों ओर से कई लोग चोटिल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। थाना प्रभारी श्रृंगेश सिंह राजपूत ने बताया कि दोनों पक्षों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि जमीन की माप को लेकर दोनों परिवारों में पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस अब मामले की बारीकी से जांच कर रही है, और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है।

विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत शिविर का हुआ आयोजन

मऊगंज। जिले के सभी विकासखण्डों में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नईगढ़ी विकासखण्ड में ग्राम तिवरिगवां मनबोध सिंह तथा बदौआ में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत शिविर लगाया गया। इस संबंध में उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने बताया कि शिविर में कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि सभी किसान अपने खेत की मिट्टी की जाँच कराकर उसका स्वाइल हेल्थकार्ड बनवाएं। इसके अनुसार ही खेत में फसल लें। कार्ड में दी गई मात्रा के अनुसार फसल में खाद का उपयोग करें। मिट्टी में यदि किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसे अतिरिक्त रूप से फसल के साथ दें। किसानों को मछलीपालन, पशुपालन, उद्यानिकी फसलों, सिंचाई प्रबंधन बीजोपचार, कीट प्रबंधन, फसल विविधीकरण तथा जैविक खेती की भी जानकारी दी गई। किसानों को घर तथा आसपास उपलब्ध सामग्री से जैविक कीटनाशक बनाने की भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनधि तथा किसान शामिल हुए।

देवरी सेगरान में वित्तीय साक्षरता की दी गई जानकारी

मऊगंज

जिले के जनपद पंचायत नईगढ़ी में वित्तीय साक्षरता सामुदायिक प्रशिक्षण शिविर ग्राम पंचायत देवरी सेगरान के सचिव देव रंजन शर्मा द्वारा आयोजित किया गया जिसके मुख्य अतिथि असिस्टेंट काउंसलर वित्तीय साक्षरता (आरोह फाउंडेशन) संतोष कुमार मिश्र रहे वही कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत के सरपंच दीपक तिवारी ने किया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मिश्र ने सरकार की विभिन्न योजनाएं पर विस्तार से जानकारी दी जैसे बैंक में खाता खोलना क्यों आवश्यक है इसकी विस्तार से जानकारी दी गई तथा साथ ही साथ सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन सुरक्षा अभियान के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा अटल पेंशन योजना यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के संबंध में विस्तार से चर्चा एजुकेशन लोन के साथ-साथ साइबर फ्रॉड के संबंध में भी लोगों को जागरूक किया गया श्री मिश्रा का कहना था की फोन के माध्यम से कोई भी अजनबी व्यक्ति आपसे आपकी गोपनीय जानकारी मांगता है जैसे आपका अकाउंट नंबर आपका ओटीपी उसे कतई ना दें आपकी सावधानी ही प्रमुख सुरक्षा है कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत के सरपंच श्री तिवारी ने कहा की वित्तीय साक्षरता के संबंध में जो हमारे ग्राम पंचायत में आयोजन हुआ इससे लोगों को बहुत लाभ मिलेगा और लोग जागरूक होंगे जब तक लोग जागरुक नहीं होंगे तब तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे इसलिए बैंक से संबंधित जो जागरूकता अभियान चल रहा है इससे हमारे हितग्राही अधिक से अधिक लाभान्वित होंगे और बैंक से जुड़कर लाभ लेंगे कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली बेटी काजल तिवारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सदा मीरा शर्मा ममता त्रिपाठी अंजू तिवारी सहायिका रेखा तिवारी आशा कार्यकर्ता ममता साकेत रानी साकेत रीता पटेल सहित कई अन्य महिला एवं पुरुष हितग्राही उपस्थित रहे कार्यक्रम के अंत में ग्राम पंचायत के सचिव डी रंजन शर्मा द्वारा आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट किया गया।

जाहिर आम सूचना

यह कि अजय कुमार सोनी तनय श्री जवाहरलाल सोनी निवासी ग्राम/पोस्ट जवा, तहसील जवा, जिला रीवा म.प्र. के द्वारा मेरे पक्षकार चोला मण्डलम् इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंस कम्पनी लिमि. रीवा के यहां भूमि खसरा नं. 137 / 1 रकवा 0.150 हे. मे से 325 वर्गफिट जो दयासुन्दर अपार्टमेन्ट बिल्डिंग कॉम्पलेक्स के भू-तल में स्थित मौजा समान, वार्ड नं. 14, पटवारी हल्का समान 32, रा.नि.म. रीवा, ब्लाक रीवा, तहसील हुजूर नगर, जिला रीवा (म.प्र.) के भूमि के वर्तमान मूल हक विलेख को बंधक/निक्षेप कर ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन किया है जिस भूमि के पूर्व दुकान मालिक श्रीमती सत्यरूपा विश्वकर्मा पत्नी श्री राजकुमार विश्वकर्मा निवासी निराला नगर बोदाबाग रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म.प्र. से जरिये ई-रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.02.2016 पंजीयन नं. MP 328492016A1100215 पेज नं. 1 से 16 जो उप पंजीयक कार्यालय रीवा के माध्यम से क्रय किया हूँ एवं श्रीमती सत्यरूपा विश्वकर्मा पत्नी श्री राजकुमार विश्वकर्मा निवासी निराला नगर बोदाबाग रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म.प्र. ने उक्त दुकान को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र दिनांक 06.11.2023 को दस्ता क. 6142, पुस्तक क्र. अ- 1. ग्रन्थ नं. 9480, पेज 44 से 48 जो उप पंजीयक कार्यालय रीवा के माध्यम से पूर्व दुकान मालिक श्री महेश कुमार असनानी पिता श्री सुन्दरदास असनानी निवासी जवाहर नगर बिछिया रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा म.प्र. से प्राप्त की थी। जो कि पुरानी मूल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.11.2023 को दस्ता क. 6142 पुस्तक क्र. अ- 1, ग्रन्थ नं. 9480 पेज 44 से 48 जो विक्रय पत्र कहीं गुम हो गई है। इस बावत आम जन व्यक्त निकाय को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिस किसी भी व्यक्ति व निकाय, संस्था को कोई मूल विक्रय पत्र दिनांक दिनांक 06.11. 2023 को दस्ता क. 6142, पुस्तक क. अ-1, ग्रन्थ नं. 9480, पेज 44 से 48 के सम्बंध मे कोई आपत्ति या किसी प्रकार का कोई हित निहित हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस के अन्दर मेरे पक्षकार चोलामण्डलम इन्वेस्टमेंट एवं फाइनेंस कम्पनी लिमि. रीवा में या मेरे कार्यालय चे. नं. 12 जिला न्यायालय के पीछे रीवा मो.नं. 8435691666 मे कार्यालयीन समय 11 से 05 बजे के मध्य दिन को मय दस्तावेज सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा बाद मुद्दत मेरा पक्षकार उक्त सम्पत्ति को पाक साफ मानते हुए वर्तमान स्वामी के नाम का मूल हक विलेख को निक्षेप कर/ बंधक कर ऋण प्रदान करेगा व कोई भी आपत्ति मेरे पक्षकार के ऊपर बंधनकारी नही होगी।

भवदीय
सुनील कुमार मिश्र (एडवोकेट)
कार्यालय- चेम्बर नं. 12, प्रथम तल, नवीन अधिवक्ता भवन कोर्ट के पीछे रीवा म.प्र.
मोबा.-9424315715, 8435691666